न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट, शामली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 815/2026
सददाम पुत्र अली हसन उर्फ लिल्ला, निवासी ग्राम बल्हैडा, थाना झिंझाना, जिला शामली।

..... **आवेदक/अभियुक्त,**

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक विशेष लोक अभियोजक, शामली।

..... **विपक्षी,**

मु०अ०सं० 210/2026
धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना झिंझाना, जिला शामली।

दिनांकः–01.06.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **सददाम पुत्र अली हसन उर्फ लिल्ला ,** की ओर से मु० अ० सं० 210/2026, अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट , थाना झिंझाना, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 12.05.2026 उ0नि0 योगेन्द्र आधाना मय हमराह कर्मचारीगण वास्ते देखरेख क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम चैकिग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति एव दबिश तलाश वारटी वाछिंत अभियक्तगण आदि में रवाना होकर चौकी मसूरा क्षेत्र मे मामूर थे जब गश्त करते हुए ग्राम बलहेडा से यमुना पुस्ते पर ग्राम पठेड की तरफ जा रहे थे तो मंसूरा को जाने वाले खडंजे पर दो व्यक्ति ट्यूबवैल पर बैठे दिखाई दिये, जो पुलिसवालो को अचानक आता देखकर खेतो की ओर भागने लगे शक बदमाश होने पर भाग रहे व्यक्तियो का पीछा किया तो उक्त भाग रहे व्यक्तियो मे से पहले व्यक्ति को कामिल नाई की ट्यूबवैल के पास करीब 20 कदम की दूरी पर ग्राम मंसूरा जाने वाले खडंजे पर पकड लिया तथा एक व्यक्ति चकमा देकर भागने में सफल रहा। पकडे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो इस व्यक्ति ने अपना नाम सद्दाम पुत्र अलीहसन उर्फ लिल्ला, निवासी ग्राम बलहेडा थाना झिंझाना शामली बताते हुए कहा कि मेरे पास स्मैक है मैं व मेरा दोस्त परवेज यहाँ बैठकर आने जाने वाले लोगो को स्मेक बेच रहे थे आप लोगो को देखकर पकडे जाने के डर से भाग रहे थे । लेकिन जब आप लोगो ने मुझे पकड ही लिया है। पकडे गये सद्दाम पुत्र अलीहसन उपरोक्त को विधिक प्रावधानो के अनुरूप धारा 50 NDPS ACT के अनुसार आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप को अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट से लिवा सकते है। जिस पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैराना महोदय के सी0यू0जी0 नं0 पर जरिये फोन सम्पर्क करना चाहा लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण सम्पर्क नही हो सका तब मजबूरीवश इसी दौरान पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप सभी पुलिस वालो पर पूरा भरोसा है आप ही मेरी तलाशी ले लो पकडे गये व्यक्ति से उसकी इच्छानुसार तलाशी की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो के अनुपालन में सहमति पत्र तैयार किया गया उस पर पकडे गये व्यक्ति व हमराहीयान से हस्ताक्षर बनवाये गये पकडे गये व्यक्ति सद्दाम उपरोक्त की सहमति पर जामा तलाशी ली गयी तो इसकी जामा तलाशी में एक काली पन्नी मे डलीनुमा हल्का गुलाबी रंग का स्मैक बरामद हुआ और हमराही कर्मचारीगण को बरामदा स्मैक को छूआ, सूंघा तो पूर्ण विश्वास हो गया कि यह स्मैक ही है। जिसपर अपनी विवेचना किट में उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक कांटे से बरामदा स्मैक को तोला गया तो इसका **कुल वजन 08 ग्राम** मय काली पन्नी के है पकडे गये व्यक्ति सद्दाम से भागे व्यक्ति के बारे मे पूछा तो बताया कि मेरा साथी परवेज पुत्र बाबू निवासी ग्राम बल्हेडा थाना झिंझाना शामली है मैं व परवेज स्मैक मोसिम उर्फ चौक पुत्र अय्यूब निवासी बसैडा थाना कैराना शामली से खरीद कर लाते है और कुछ स्मैक पी लेते है और कुछ बेच देते है। परवेज मेरा दोस्त है आज हम स्मैक बेचने आये थे। फलस्वरूप उपनिरीक्षक के द्वारा घटना के सम्बंध में थाना झिंझाना पर अभियुक्तगण सददाम,परवेज व मोसिस उर्फ चौक के विरूद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट का मामला पंजीकृत कराया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार का नशीला पदार्थ अथवा स्मैक बरामद नहीं हुई है।पुलिस द्वारा धारा 50 एन० डी० पी० एस०एक्ट के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त से बरामद स्मैक व गिरफ्तारी के समय किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं लिय है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। आवेदक /अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार हस्तगत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है। जोकि वाणिज्यिक मात्रा से कम है। स्मैक की अल्प मात्रा 5 ग्राम व वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सददाम पुत्र अली हसन उर्फ लिल्ला** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जावेः–

1. दौरान जमानत आवेदक/अभियुक्त किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त विचारण की प्रक्रिया में न्यायालय का सहयोग करेगा।

(ऋतु नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय/
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट., शामली।
I.D. No UP1671